न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 5/2022 (राजसमन्द डिक्री)

1. रतनलाल पिता बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. बृजेश पिता बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. कंचन देवी पत्नी बाबरीलाल उर्फ बाबुलाल, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्यामलाल पिता मोहनलाल जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. नाथुलाल पिता वरदीचन्द जी, जाति खटीक, निवासी गिलुण्ड, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा प्रकरण संख्या 89/2019 दिनांक 03.02.2022

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री आर.एल. रावत अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री प्रकाश खटीक अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:::———

निर्णय दिनांक 06–02–2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. वास्ते न्यायालय आदेश की पालना पुलिस इमदाद से कराने बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 147/1998 आप न्यायालय द्वारा दिनांक 11–09–2001 को स्वीकार किया जाकर निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की गयी, किन्तु इसकी पालना अभी नहीं हो पायी है। इसलिए प्रार्थीगण ने आप न्यायालय में हकरसी प्रार्थना पत्र लगा रखा है, जिसके मुकदमा नंबर 1/16 होकर तारीख पेशी दिनांक 19–09–2019 नियत है। उक्त प्रकरण में निषेधाज्ञा की डिक्री पारित होने के बावजूद विपक्षीगण आपस में मिलकर बिना कानूनी विभाजन हुए न्यायालय आदेश की अवमानना करते हुए प्रार्थना पत्र वर्णित विवादित भूमियों में से आराजी नंबर 3064 को दिनांक 31–10–2014 को प्रेमी देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया, तत्पश्चात उसी दिनांक को प्रेमी [illegible] उक्त आराजी में से 1/3 हिस्सा विपक्षी संख्या 6 को विक्रय कर दिया, जबकि उक्त स्थायी निषेधाज्ञा आदेश का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:27 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण को विधिवत ज्ञान था। विपक्षीगण ने आप न्यायालय के स्थायी निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद मौके पर बिना विधिवत विभाजन के निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा कब्जा करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः निवेदन किया कि पुलिस थाना रेलमगरा को आदेशित कर तहरीर जारी की जावे कि आप न्यायालय द्वारा जारी स्थायी निषेधाज्ञा की पालना में मौके पर निर्माण कार्य रूकवाया जावे तथा विपक्षीगण को मौके पर निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाकर कठोर से कठोर सजा दिलायी जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में विपक्षीगण की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध पेश किया गया है, क्योंकि आदेश 39 नियम 2 का प्रार्थना पत्र आदेशों पर लागू नहीं होता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर लागू होता है तथा वाद अथवा प्रकरण न्यायालय में पेण्डिंग होना आवश्यक है, जबकि इस प्रकरण में वाद दिनांक 11–09–2001 को निर्णित हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 03–02–2022 से विपक्षीगण का आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–03–2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री प्रकाश खटीक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11–09–2001 को पारित निर्णय व डिक्री का बिना अवलोकन किये आनन–फानन में मात्र रेस्पोन्डेन्ट को सुनते हुए उक्त आदेश पारित किया है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है वह दावे पर लागू होता है, जबकि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अवमानना का था, जो दावे की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03–02–2022 निरस्त किया जावे तथा पुलिस थाना [illegible] को तहरीर जारी कर आदेशित किया जावे कि रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा न्यायालय आदेश की अवहेलना कर निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्य किया जा रहा है, उसे रूकवाया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को कठोर से कठोर सजा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को विधि सम्मत होना बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने विवेचन में स्पष्ट अंकित किया है कि ''वादग्रस्त भूमि से संबंधित मूल वाद का निस्तारण होकर डिक्री जारी हो चुकी है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2क सी.पी.सी. का भी निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. पर कार्यवाही न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है।'' उक्त आधारों पर रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया है जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 03–02–2022 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.04.24 14:06:27 IST
Reason: SelfAttested